



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**अनुबंध IV**

**बैंकिंग आउटलेट विस्तार के लिए वार्षिक कार्यक्रम का फॉर्मेट (एबीओईपी) : समेकित प्रस्ताव\***

<b>भाग क (कारोबार स्थल खोलना)*</b>	<b>बैंकिंग सुविधारहित ग्रामीण केंद्रों में प्रस्तावित (i)</b>	<b>एनई राज्यों, सिक्किम, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले (सिर्फ टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में प्रस्तावित (ii)</b>	<b>सिर्फ बीसी आउटलेट वाले ग्रामीण केंद्रों में प्रस्तावित पक्की इमारती शाखाएं (iii)</b>	<b>केवल किसी भुगतान बैंक के बैंकिंग आउटलेट वाले ग्रामीण केंद्रों में प्रस्तावित बैंकिंग आउटलेट (iv)</b>	<b>कॉलम (i) (ii) एवं (iii) और (iv) के क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रस्तावित</b>	<b>वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए कुल प्रस्तावित (1 से 5 का योग)</b>
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग आउटलेट						
अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट						
प्रशासनिक कार्यालय						
पञ्च (बैंक) कार्यालय						
केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष						
कॉल सेंटर						
अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
कुल						

\*टियर वर्गीकरण के साथ राजस्व केंद्र के ब्योरे के अनुबंध रूप में जोड़ें।

**भाग ख (कारोबार स्थल का विलय/स्थानांतरण/बंद करना)**

	<b>विलय के लिए प्रस्तावित</b>	<b>स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित</b>	<b>बंद किए जाने के लिए प्रस्तावित</b>	<b>टियर वर्गीकरण के साथ राजस्व केंद्र के ब्योरे</b>
बैंकिंग आउटलेट				
अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट				
कुल				